इजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 1066/1998

तारीख दायरा 17.12.1998

उनवान

किशनलाल पुत्र श्री गोमदा जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा जरिये कायम मुकामान :–

1. जानकीलाल पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद,
2. शिवप्रसाद पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद,
3. शेलाबाई पुत्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद,
4. घींसीबाई बेवा किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद।

–वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्रीकृष्ण जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद।

1/1. महावीर पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तह0सांगोद।

1/2. द्वारकीलाल पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तह0सांगोद।

1/3. चमेली पुत्री लालचन्द पत्नी प्रहलाद जाति माली निवासी ग्राम पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड।

1/4. कैलाश पुत्री लालचन्द पत्नी दिनेश जाति माली निवासी ग्राम पनवाड तहसील खानपुर जिला झालावाड।

1/5. सीता पुत्री लालचन्द पत्नी नामालूम जाति माली निवासी मण्डाना तहसीललाडपुरा जिला कोटा।

1/6,. रानू पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जरिये वली माता कान्तिबाई बेवा लालचन्द जाति माली नि0 राजगढ तहसील सांगोद।

1/7. बिट्टू पुत्र लालचन्द जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जरिये वली

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

माता कान्तिबाई बेवा लालचन्द जाति माली नि0 राजगढ तहसील सांगोद।

1/8 कान्तिबाई बेवा लालचन्द जाति माली नि0 राजगढ तहसील सांगोद।

2. केसरबाई बेवा श्रीकृष्ण जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद।
3. मोतीलाल पुत्र गोमदा जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद।
4. कजोडीबाई बेवा सालगराम जाति माली निवासी राजगढ तहसील सांगोद।
5. रामचन्द्र पुत्र गोमदा जाति माली निवासी राजगढ तहसील सांगोद।

5ए. छीतरलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम राजगढ तहसील सांगोद।

6. मेनेजर बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड शाखा अन्ता जिला बारां।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा।
8. उप–पंजीयन अधिकारी सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,90,53,188 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादी) दिनांक :– 12.04.2021

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील प्रतिवादी)

—निर्णय—

वादी ने इस न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नंबर 111 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 122 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 123 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 129 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 204 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा के माल में स्थित है। वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 का पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार है :–

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

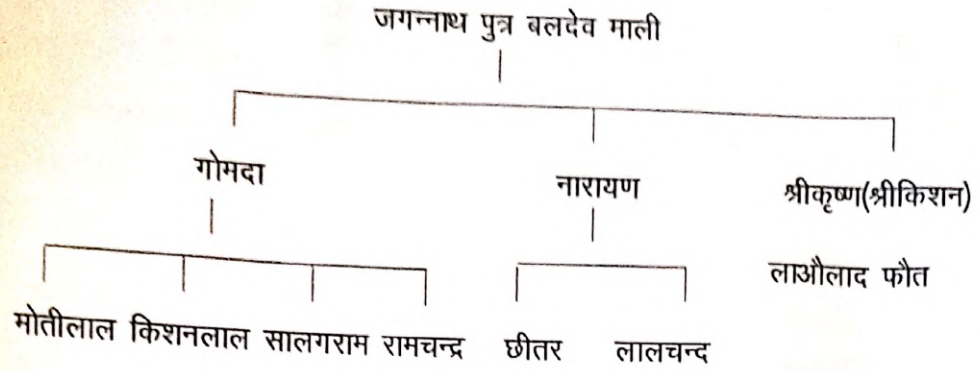

वादी द्वारा वाद में यह भी अंकित किया है कि उपरोक्त आराजीयात के वादी के पितामह श्री जगन्नाथ जी खातेदार काश्तकार थे तथा उन्ही के कब्जेकाश्त में उपरोक्त आराजीयात जिन्दा रहे तब तक चलती रही तथा उनकी मृत्यु के बाद आपसी पारिवारिक रजामन्दी व बंटवारा के तहत उपरोक्त आराजीयात वादी के पिता गोमदा के हिस्से व कब्जेकाश्त में आई, जिस पर वादी के पिता गोमदा का ही कब्जा व काश्त मुतवातिर पिछले 60 साल से भी अधिक समय से चला आ रहा है तथा गोमदा जी की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके बाद उपरोक्त आराजीयात पर वादी का ही कब्जा व काश्त मुतवातिर आज तक चला आ रहा है तथा आज भी वादी का ही कब्जा व काश्त है। प्रतिवादी कं. 1 के गोदपिता व प्रतिवादी कं. 2 के पति श्रीकृष्ण (श्रीकिशन) ने चुपचाप उपरोक्त आराजीयात को अपने खाते राजस्व अधिकारियों से मिलकर दर्ज करवा लिया जिसका कि उसको कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। श्रीकृष्ण के देहान्त बाद चुपचाप लालचन्द ने नामान्तरण नम्बर 68 दिनांक 01.10.73 को अपने हक में खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दिया। उपरोक्त आराजी के वादी व प्रतिवादी कम 3, 4 व 5 का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कं. 1 व 2 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी कं. 5ए छीतर का हिस्सा 1/3 बांट बराबर से दर्ज किया जाना चाहिये था जिसके वादी हकदार हैं। प्रतिवादीगण कं. 1 ता 5ए का कब्जा भी उपरोक्त आराजीयात पर पिछले 60 साल की अवधि में नहीं रहा है तथा वादी को उपरोक्त आराजीयात पर वैसे एडवर्स पजेशन भी प्राप्त हो चुका है तथा वादी उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। वैसे वादी का उपरोक्त आराजीयात में हिस्सा 1/3 निहित है तथा जिसको वादी बंटवारा करवाकर अपने पृथक से खाते दर्ज करवाने व अपने आपको उपरोक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकार है। वादी ने प्रतिवादी कं. 1 व 2 से कई बार उपरोक्त आराजीयात में वादी का नाम खाते में दर्ज करवाने व बंटवारा कर पृथक–पृथक करवाने बाबत निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी सदैव टालमटूल करता रहा है। वादी ने राजस्व अधिकारियों से भी राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने व वादी का नाम भी खातेदारी में अंकित करने के लिए कहा लेकिन राजस्व अधिकारियों ने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

करने के लिए कहा। इस कारण वादी के लिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व बंटवारा का लाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी कं. 1 व 2 जिनका कि आराजीयात मुतनाजा पर पिछले 60 साल में कभी भी कब्जाकाश्त नहीं रहा। प्रतिवादी कं. 1 व 2 मात्र गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को चुपचाप खुर्दबुर्द करने बैचान करने व रहन आदि करने के प्रयास में है जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करवाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी कं. 1 ने खसरा नंबर 204 की 17 बिस्वा में से 9 बिस्वा खेत श्री रामचन्द्र कलाल को बेचान कर दिया है और उसने मकान भी बना लिया है। दावा अवधिमध्य व उचित न्यायशुल्क पर पेश है जिसको सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः वादपत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे तथा प्रतिपक्षी कं. 1, 2 के पिता व पति श्रीकृष्ण के हित में नामान्तरण खुल गया था और उसके वाद प्रतिपक्षी कं. 1, 2 के हित में नामान्तरण संख्या 68 दिनांक 01.10.73 को खुल गया था, निरस्त फरमावें। वादग्रस्त आराजीयात को वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा की डिक्री पारित कर वादी के हिस्से 1/3 को वादी के पृथक खाते दर्ज कर पृथक से लगान कायम किया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे तथा वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे व काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत न करें, न रहन रखे, न ही बेचान आदि करें तथा प्रतिवादी कं. 8 को भी पावन्द किया जावे कि वह उक्त आराजीयात के बेचान आदि की रजिस्ट्री पंजीयन नहीं करें तथा वादी को शान्तिपूर्वक यथावत काबिज रहने दिया जावे व काश्त करते रहने दिया जावे।

वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादी कं. 1, 2, 3, 4, 5ए ने उपस्थित होकर इस आशय का जवावदावा प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी ग्राम राजगढ में स्थित होना मात्र स्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र के शजरे को भी अस्वीकार किया तथा अंकित किया कि विवादित आराजी प्रतिवादी कं. 1 व 2 के सम्मिलित खाते एवं कब्जेकाश्त की है जिस पर प्रतिवादीगण का ही काफी समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कानूनी रूप से इन्तकाल तस्दीक किया जाकर विवादित भूमि प्रतिवादी कं. 1, 2 के खाते दर्ज की गई है। वादी को उक्त भूमि में कोई हक अधिकार व हिस्से लेने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा की विशेष आपत्तियों में अंकित किया कि ग्राम राजगढ तहसील सांगोद के माल में प्रतिवादी कं. 1 व 2 के सम्मिलित खाते एवं कब्जेकाश्त की विवादित आराजी स्थित है जिसको प्रतिवादीगण काफी समय से बतौर खातेदार कृषक शान्तिपूर्वक काश्त करते आ

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

रहे है लेकिन वादी काफी झगडालू किस्म का व्यक्ति है जो कानून को अपने हाथ में लेकर फसल बोते समय एवं फसल काटते समय झगडा फसाद करते हैं तथा मरने–मारने पर आमादा रहते है तथा प्रतिवादीगण के खाते एवं कब्जेकाश्त की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में रहते है। उक्त विवाद से बचने के लिए प्रतिवादी कं. 1 व 2 ने पूर्व में उपखण्ड न्यायालय में एक वाद धारा 188 आर.टी.एक्ट का पेश किया था जो वादी के विरूद्ध डिकी किया जा चुका है जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पेश की हुई है। इस प्रकार वादी ने प्रतिवादीगण को जानबूझकर परेशान व तंग करने की नियत से ही असत्य वाकियात के आधार पर केवल गॉववालों के बहकावें में आकर माननीय न्यायालय में तथ्यों को छिपाकर उक्त वाद पेश किया है जो काबिल खारिजा है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा दिलवाया जावे। दोनों पक्षों के अभिवचनों व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पत्रावली में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादपत्र की मद नंबर 1 में वर्णित आराजीयात का वादी को खातेदार कृषक घोषित करते हुये राजगढ के नामान्तरण संख्या 68 दिनांक 01.10.1973 को निरस्त किया जावे। –वादी–

2. आया वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा की डिकी पारित कर वादी के 1/3 हिस्से को पृथक दर्ज कर लगान पृथक कर व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। –वादी–

3. आया विवादग्रस्त आराजी राजगढ माल में प्रतिवादी कं. 1 व 2 के सम्मिलित खाते व कब्जेकाश्त होने से व इसी भूमि से सम्बन्धित धारा 188 आर.टी.एक्ट दावा राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ लम्बित होने से खारिज किया जावे।

–प्रतिवादी–

4. आया दादरसी ?

बाद कायमी तनकीयात वादी की ओर से पी.डब्ल्यू.1 जानकीलाल, पी.डब्ल्यू. 2 बद्रीलाल, पी.डब्ल्यू.3 मोतीलाल को परीक्षित करवाया गया जिसमें पी.डब्ल्यू. 1 जानकीलाल जो कि स्वयं वादी है, जिसके द्वारा अपने बयानों में मुख्यतः वादग्रस्त आराजी पर स्वयं का कब्जाकाश्त बताते हुये वादपत्र के तथ्यों को दोहराया है एवं जिरह में कथन किया है कि दावा

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

18 बीघा भूमि का है, उक्त भूमि श्रीकिशन के खाते है जो श्रीकिशन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र लालचन्द व बेवा केसरबाई के खाते में आई है। यह भी कथन किया कि वादी किशनलाल के दो पुत्र व दो पुत्रियां है किन्तु पुत्री बादामबाई की मृत्यु हो गई है जिसके तीन पुत्र व एक लडकी है जिसने के नाम हेमराज, लालचन्द, माधो व लडकी राममूर्ति है जिन्हे वाद में पक्षकार नहीं बनाया, मुझे याद नहीं है। सेटलमेंट संवत् 2012 से पूर्व के खसरा नंबर याद नहीं है जिसके क्षेत्रफल की नकल मैंने पेश की है। मेरे दादाजी का नाम गोमदा जी था। नारायण गोमदा जी का भाई था। गोमदा जी के लडके सालगराम व रामचन्द्र की मृत्यु हो चुकी है। सालगराम की मृत्यु को 50वर्ष व रामचन्द्र को 13 वर्ष हो गये हैं। रामचन्द्र कुंवारे मरे हैं। सालगराम का लडका नहीं है। एक लडकी मांगीबाई है जिसका लडका धनराज है। सालगराम की बेवा कजोडीबाई हैं। दावे में कजोडीबाई व धनराज को पक्षकार नहीं बनाया। छीतरलाल के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया, छीतर को मरे हुये 10–12 साल हो गये। यह बात सही है कि आराजी खसरा नंबर 204 की भूमि लालचन्द के कब्जे में है जिसमें से लालचन्द ने रामचन्द्र को बेच दी। करीबन 28–30वर्ष हो चुके हैं। रामचन्द्र ने मकान बना रखा है व उसी में परिवार के साथ रहता है। रामचन्द्र को पक्षकार बना रखा हो तो मुझे याद नहीं है। रामचन्द्र के बेचान की बात दावे में लिखी हो तो याद नहीं है। श्रीकिशन के लालचन्द व केसरबाई के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। दावा सम्पूर्ण भूमि का बंटवारा का हो तो मुझे पता नहीं है। पी.डब्ल्यू. 2 बद्रीलाल ने अपने बयानों में मुख्य रूप से यह जाहिर किया है कि वादग्रस्त आराजी गोमदा जी के पिता की मृत्यु होने के बाद आपसी पारिवारिक बंटवारें के तहत किशनलाल जी के कब्जेकाश्त में पिछले 60 सालों से चली आ रही है। हमने किशनलाल व गोमदा व उनके बाद जानकीलाल को काश्त करते हुये देखा है। प्रतिवादी कं. 1 के गोद पिता श्रीकृष्ण ने चुपचाप राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त आराजी आने नाम दर्ज करवा ली है। उक्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है। पी. डब्ल्यू. 3 मोतीलाल जो कि प्रतिवादी कं. 3 की हैसियत से पक्षकार भी है जिसने साक्ष्य वादी में अपने बायानों में जाहिर किया है कि मैं जानकीलाल को अच्छी तरह से जानता हूँ तथा पिछले 60 सालों से वादी को काश्त करते हुये देखा है। वादी के पिता मेरे भाई थे। उक्त भूमि गोमदा जी काश्त करते थे उनके बाद आराजी जानकीलाल काश्त करता है। लालचन्द के गोदपिता श्रीकृष्ण ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर उक्त आराजी स्वयं के नाम दर्ज करवा ली जिसके उनको अधिकार नहीं था। उक्त आराजी पर प्रतिवादी कं. 1 लगायत 5 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। जिरह में मोतीलाल ने मुख्यतः जाहिर किया कि मैंने दिनांक 15.09.2000 को जवाब पेश किया था। जवाबदावे में लिखे सभी तथ्य सहीं हैं। राजगढ के पास की बाडी किसके कब्जे में है मुझे पता नहीं है। गोमदा के सलोनिया की भूमि खाते दर्ज है। जगन्नाथ की मृत्यु के बाद गोमदा के खाते लगी। जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उनके लडके नारायण, श्रीकिशन का नाम

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

गोमदा के साथ नहीं है क्योंकि उनके अलग भूमि है। हमारे एक बहिन मोत्याबाई है जो अभी जीवित है। गोमदा जी की मृत्यु के बाद मोत्याबाई का नाम दर्ज नहीं हुआ। मेरे चार बुआ थी, अब मर चुकी हैं। नारायण की एक लडकी है जिसका नाम नर्बदाबाई है जो अभी पीपलाद ससुराल में रहती है। श्रीकृष्ण की मृत्यु के बाद उसकी बेवा केशरबाई व पुत्र लालचन्द के खाते दर्ज है। हमारे भूमि का बंटवारा हो गया है।

प्रकरण में साक्ष्य वादी पूर्ण होने के उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादी हेतु प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये गये किन्तु उनकी ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई तथा दिनांक 19.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त तनकी कायम करने हेतु निवेदन किया जिसका जवाब वादी द्वारा दिये जाने पर बहस प्रार्थना पत्र सुनकर पत्रावली में निम्नलिखित अतिरिक्त तनकी की रचना की गई :–

5. आया वादीगण को "प्रिन्सिपल ऑफ एडवर्स पजीशन" के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार प्राप्त है ? –वादीगण–

अतिरिक्त तनकी नं. 5 पर दोनों पक्षों की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। तदोपरान्त वकील पक्षकारान की बहस सुनी। वकील वादी श्री बाबूलाल नागर द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से निवेदन किया कि किशनलाल ने लालचन्द वगैरा के विरूद्ध माननीय न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय में जैरकार है। वादपत्र के मद नं. 2 में वादी व प्रतिवादीगण का सजरा प्रस्तुत किया गया है जिसके मुताबिक वादी किशनलाल के पिता गोमदा विवादग्रस्त आराजी स्थित माल ग्राम राजगढ के सहखातेदार एवं कब्जेकाश्त 1/3 हिस्से पर होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। वादी द्वारा वादपत्र के साथ माल ग्राम राजगढ के खसरा नंबर 111, 122, 123, 12, 204 पर काबिज काश्त होने बाबत बतौर साक्ष्य खसरा गिरदावरी नकल प्रस्तुत की है जिससे लगभग पिछले 50 वर्षों से आराजी पर कब्जा जगन्नाथ वल्द बलदेव एवं गोमदा इसके पश्चात वादी रेकार्ड में दर्ज व मौके पर काबिजकाश्त साबित हो रहा है जिसके लिए वादी ने माननीय न्यायालय में जानकीलाल, बद्रीलाल एवं मोतीलाल पी.डब्ल्यू. 1, 2, 3 बयान गवाहान परीक्षित करवाये गये हैं जिससे वादी का वादपत्र साबित है एवं वादी का वाद डिकी किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादपत्र का जवाबदावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र को अस्वीकार किया है परन्तु जवाबदावा में स्पष्ट रूप से

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

वादपत्र में वर्णित सजरे को अस्वीकार करने का कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र कब्जे बाबत तथ्यों का वर्णन किया गया है एवं उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 होने से इन्कार किया है। उक्त तथ्यों को साबित करने के लिए प्रतिवादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया है। वादी के साक्ष्य के विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी द्वारा विवादग्रस्त आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट अन्तर्गत माननीय न्यायालय में लालचन्द बनाम किशनलाल वगैराह दावा पेश करने बाबत तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो माननीय न्यायालय द्वारा आर्डर 7, नियम 11 सीपीसी के तहत निस्तारित कर दिया गया है। यानि प्रतिवादीगण का आर्डर 7, नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है जिससे यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध है। वादीगण द्वारा वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य पेश किया गया है जिससे एवं दस्तोवजी साक्ष्य से माननीय न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात नं. 1 व 2 साबित है एवं वादी 1/3 आराजी का हिस्सेदार खातेदार कृषक होने का अधिकारी है। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावे से हटकर माननीय न्यायालय के समक्ष बहस की गई है जो जवाबदावे में वर्णित तथ्यों के विपरीत है एवं उसका कोई आधार नहीं है। अतः मुताबिक बहस वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादीगण श्री नरेश कुमार गौतम एडवोकेट द्वारा अपनी बहस में संक्षेपतः निवेदन किया कि वादी द्वारा पत्रावली में मिलान क्षेत्रफल व जगन्नाथ के फौती इन्तकाल की नकल प्रस्तुत नहीं की है। ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम अंकित वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ के फौती इन्तकाल से प्रतिवादी कं. 1 के पिता श्रीकृष्ण को प्राप्त हुई हो। साथ ही वादी द्वारा वाद के अनुतोष की चरण संख्या 1 में वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है किन्तु वादी यह कहीं भी सिद्ध नहीं कर सका है कि वादी का वादग्रस्त आराजी में किस कदर हिस्सा बनता है। एक ओर तो वादी वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ की मृत्यु के बाद पारिवारिक बंटवारे में गोमदा के हिस्से व कब्जे में आना बताता है, और गोमदा के बाद पारिवारिक विभाजन में वादी किशनलाल के हिस्से व कब्जे में आना बताता है किन्तु उक्त संबंध में वादी की ओर से पारिवारिक विभाजन अथवा पारिवारिक समझोंते के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वहीं यदि वादी वादग्रस्त आराजी का गोमदा को हकदार मानता है तो गोमदा के शेष वारिसों का वादी क्यों हक स्वीकार नहीं करता है। इस प्रकार एक ओर तो वादी वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी का स्वयं को खातेदार घोषणा करवाना चाहता हैं। वही वाद के अनुतोष संख्या 2 में बंटवारे का अनुतोष चाहकर वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
लाँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

आराजी में 1/3 हिस्से का पृथक विभाजन करवाना मांगता है। यदि वादी वादग्रस्त आराजी में विभाजन क्लेम करता है तो उसे बादाम बाई के तीन पुत्रों हेमराज, लालचन्द, माधो, व पुत्री राममूर्ति एवं नारायण की पुत्री नर्बदाबाई एवं किशनलाल की बहिन मोत्याबाई को वाद में पक्षकार बनाना चाहिये था। साथ ही पी.डब्ल्यू.3 मोतीलाल द्वारा बयानों में जाहिर किया है कि उसके चार बुआ भी थी किन्तु उन्हे वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके अभाव में विभाजन बाबत वाद चलने योग्य नहीं है। साथ ही प्रतिवादी कं. 1, 2 वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार हैं जिनके विरूद्ध कानूनन निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टान्त सुसंगत है।

<u>6 DNJ(SC) 1997 :- INJECTION – injection cannot be granted against lawful owner of the property.</u>

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में यह भी व्यक्त किया कि वादपत्र में एक ओर तो जगन्नाथ के फौती इन्तकाल व श्रीकृष्ण के फौती इन्तकाल से आराजी प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम गलत दर्ज होना जाहिर कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करवाना चाहा है, वही वादपत्र की मद नं. 6 में 60सालों का कब्जा होने से 'एडवर्स पजीशन' के प्रिन्सिपल के आधार पर खातेदारी अधिकार क्लेम किये हैं। इस प्रकार वाद में उठाये गये उक्त दोनों ही तथ्य एक–दूसरे से परस्पर विरोधाभासी हैं। वादी द्वारा जो खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत की हैं, उनके संबंध में वकील प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया कि खसरा गिरदावरी के आधार पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। इस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से 40 RRT 2020(1) की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "खसरा गिरदावरी के आधार पर वाद डिकी नहीं किया जा सकता।"

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात, पक्षकारान की मौखिक साक्ष्य, न्यायिक नजीरों व वकील पक्षकारान की बहस पर गहनतम चिन्तन किया। उसके उपरान्त तनकीवार निम्न प्रकार से निर्णय करना उचित समझती हूँ :–

तनकी संख्या 1 :– आया वादपत्र की मद नंवर 1 में वर्णित आराजीयात का वादी को खातेदार कृषक घोषित करते हुये राजगढ के नामान्तरण संख्या 68 दिनांक 01.10.1973 को निरस्त किया जावे।

–वादी–

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है किन्तु वादी की ओर से पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम अंकित वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ के फौती इन्तकाल से प्रतिवादी कं. 1 के पिता श्रीकृष्ण को प्राप्त हुई हो। वादी जानकीलाल पी.डब्ल्यू. 1 ने अपने बयानों में जिरह में कथन किया है कि"श्रीकिशन के केशरबाई व लालचन्द के अलावा और कोई वारिस नहीं हैं।" वहीं वादपत्र में पूर्वखातेदार श्रीकृष्ण को प्रतिवादी कं. 1 का गोदपिता होना स्वीकार किया हुआ है तथा पी.डब्ल्यू. 1 जानकीलाल द्वारा मुख्य परीक्षा के शपथपत्र में भी श्रीकृष्ण को प्रतिवादी कं. 1 का गोदपिता होना स्वीकार किया है। वैसे भी श्रीकृष्ण की मृत्यु के दिन उसकी बेवा केसरबाई के मौजूद होने की स्थिति में वादी किसी भी कदर श्रीकृष्ण का वारिस की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही प्रतिवादी केसरबाई, मोतीलाल, कजोडीबाई, छीतरलाल इत्यादि ने भी श्रीकृष्ण के विधिक वारिस प्रतिवादी कं. 1, 2 को ही होना माना है। वादी द्वारा इन्तकाल संख्या 68 दिनांक 01.10. 1973 को निरस्त करने का अनुतोष तो चाहा है किन्तु इन्तकाल संख्या 68 की नकल तक पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की। साथ ही वादी को वाद में यह भी सिद्ध करना था कि वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ के फौती इन्तकाल से श्रीकृष्ण को प्राप्त हुई हो किन्तु वादी द्वारा जगन्नाथ का फौती इन्तकाल भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार से मेरी राय में श्रीकृष्ण की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त आराजी को उसके जायज वारिस प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज दर्ज किया जाना न्यायसंगत व विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार वादी यह कहीं भी सिद्ध नहीं कर सके हैं कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में किस कदर हिस्सा बनता है। ऐसी सूरत में वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में वादीगण रिकार्ड अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहे हैं जिसके कारण वादीगण तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 1 विरूद्ध वादी व बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :– आया वादग्रस्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा की डिक्री पारित कर वादी के 1/3 हिस्से को पृथक दर्ज कर लगान पृथक कर व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

–वादी–

उपरोक्त तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है किन्तु वादीगण वादग्रस्त आराजी में अपने हक की घोषणा करवाने में असफल रहे हैं तथा वादीगण तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। यदि वादीगण तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने में

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

सफल होते तो ही वादीगण को विभाजन का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। जब वादीगण वादग्रस्त आराजी में अपना हक ही स्थापित नहीं कर पाये हैं तो वादीगण वादग्रस्त आराजी में किस कदर विभाजन प्राप्त करने व खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त आराजी में विभाजन प्राप्त करने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार टीनेन्ट हैं, उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने में वादी असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 2 विरूद्ध वादी व वहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया विवादग्रस्त आराजी राजगढ माल में प्रतिवादी कं. 1 व 2 के सम्मिलित खाते व कब्जेकाश्त होने से व इसी भूमि से सम्बन्धित धारा 188 आर.टी.एक्ट दावा राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ लम्बित होने से खारिज किया जावे। –प्रतिवादी–

उपरोक्त तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है किन्तु उक्त संबंध में पत्रावली पर कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं हुआ है। लिहाजा तनकी संख्या 3 को प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 3 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया वादीगण को "प्रिन्सिपल ऑफ एडवर्स पजीशन" के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार प्राप्त है? –वादीगण

उपरोक्त तनकी संख्या 5 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है किन्तु वादीगण संवत् 2012 के समय का ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिससे वादग्रस्त आराजी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिन वादी कब्जाकाश्त सिद्ध होता हो। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों से एडवर्स पजीशन के आधार पर कृषिभूमि में खातेदारी प्रदान करने की व्यवस्था समाप्त की जा चुकी है। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **1071 RRT2020(2), 7 RRD 1979, 40 RRT 2020(1)** में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि वर्ष 2012 में उपकृषक के रूप में नाम जमाबन्दी में अंकित हो तो उसे खातेदारी प्रदान की जा सकती है किन्तु यदि संवत् 2012 से पूर्व का कब्जा साबित करने हेतु दस्तावेज पेश नहीं किया तो प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वादी पत्रावली काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व का कोई कब्जे सम्बन्धी रिकार्ड अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहा है जिसके कारण

उपखण्ड अधिकारी
बाँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण तनकी संख्या 5 को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः तनकी संख्या 5 विरूद्ध वादीगण व बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :—आया दादरसी ?

चूंकि वादीगण तनकी संख्या 1, 2 व 5 को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। ऐसी सूरत में वादीगण इस वाद के माध्यम से कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। लिहाजा तनकी संख्या 4 विरूद्ध वादीगण व बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है। इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, दस्तावेजों, दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के बयानात, वकुलाय फरीकेन की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन करने के उपरान्त दावा वादीगण खारिज करना उचित समझती हूँ।

अतः वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 90, 53, 188 आर.टी.एक्ट सव्यय खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner